


नरेन्द्र देवडा बनाम नगर परिषद नागौर व अन्य

निगरानी/न0पा0/नं0/ 51/2016

तारीख	हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2016/00195 गैर निग. 1 व 2 के अधि- श्री जुगल किशोर श्री ठाकुर प्रसाद श्री पंकज शर्मा श्री मुकेश शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। यह प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डीएलबी/15/5843-6274 दिनांक 10.6.2016 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने से इस न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त हुए हैं।</p> <p>निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्रांक एफ-53(1304)निग/डीएलबी/15/685 दिनांक 08.08.2016 द्वारा आयुक्त नगर परिषद नागौर को आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2016 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया तथा साथ ही अन्य पक्षकारों को भी सूचित किये जाने हेतु पाबंध किया गया। इसी पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पक्षकारों को भी सूचनार्थ प्रेषित कर आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2016 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष उपस्थित होने हेतु निदेशालय स्तर से सीधे ही सूचना दी गई।</p> <p>उपरोक्त क्रम में पेशी दर पेशी नियत होकर पत्रावली में आज दिनांक की पेशी नियत है। निगरानीकर्ता अनुपस्थित हैं। गैर निगरानीकर्ता अभिभाषक भी अनुपस्थित हैं। निगरानीकर्ता को आवाज दिलाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्ति तक निगरानीकर्ता को बार बार आवाज दिलाई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


(डॉ. वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

